



सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

दूरभाष/TEL : 26962819, 26567373
(EPABX) : 26565694, 26562133
: 26565687, 26562144
: 26562134, 26562122
फैक्स/FAX : 26960629, 26529745
Website : <http://www.dsir.gov.in>
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित विभाग)
(AN ISO 9001:2008 CERTIFIED DEPARTMENT)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग,
नई दिल्ली - 110016
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department of Scientific and Industrial Research
Technology Bhavan, New Mehrauli Road,
New Delhi - 110016

सं.आईआरडीपीपी-आरडीआई/आरआरजी/1/2023-आईआरडीपीपी-डीएसआईआर

दिनांक: 15 फरवरी, 2024

आदेश

विषय : डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योगों की इन-हाउस आर एंड डी इकाई (यों) एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) के संबंध में 30.09.2024 तक संशोधित वैधता के साथ डीएसआईआर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में ।


वित्त मंत्रालय की दिनांक 1.02.2023 अधिसूचना संख्या 334/03/2023-टीआरयू जिसमें वर्ष के दौरान समीक्षा करने के उद्देश्य से स्टैंडअलोन अधिसूचनाओं को 31.03.2024 तक बढ़ाया गया था के अनुसार डीएसआईआर अस्पताल के अलावा अन्य अनुसंधान जैसे उद्योग की इन-हाउस आर एंड डी इकाइयां (आरडीआई) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) को 31.03.2024 तक 'पंजीकरण प्रमाणपत्र' जारी कर रहा है।

2. 31.03.2024 को समाप्त हो रही छूट की वैधता को **30.09.2024** (प्रतिलिपि संलग्न) तक बढ़ाने के संबंध में दिनांक 29.01.2024 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 07/2024-सीमाशुल्क का संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित दिनांक 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमाशुल्क को **31.03.2024** से **30.09.2024** तक बढ़ाया जा रहा है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी मौजूदा वैध मान्यता प्राप्त अवधि वाले उद्योगों की इन-हाउस आर एंड डी इकाइयों (आरडीआई) एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र 31.03.2024 को समाप्त हो रहा है के लिए पंजीकरण की वैधता को 30.09.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

4. हालांकि, उद्योगों की इन-हाउस आर एंड डी इकाइयों और एसआईआरओ की मान्यता के नवीकरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा डीएसआईआर में विधिवत निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. पी. के. दत्ता)

वैज्ञानिक- 'जी' और प्रमुख आरडीआई
ईमेल- pkdutta@nic.in
फोन- 011 26534823, 011 26590394

सेवा में

सभी हितधारक

प्रतिलिपि:

सचिव, डीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव